प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 73/2019)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली, 16 सितंबर, 2019 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने आज ''कॉल्ड पार्टी के लिए अलर्ट की अवधि'' पर एक परामर्श पत्र जारी किया है। परामर्श पत्र का पूरा पाठ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है।

2. दूरसंचार नेटवर्क, रिंग टोन का उपयोग इनकमिंग कॉल के बारे में कॉल्ड पार्टी को अलर्ट करने के लिए किया जाता है। रिंगिंग टाइम में कमी करने से नेटवर्क संसाधनों की बचत हो सकती है, मगर कॉल का जवाब देने में लगने वाले समय की तुलना में अवधि को बहुत कम किए जाने से नेटवर्क परफार्मेंस और ग्राहक अनुभव से संबंधित समस्या हो सकती हैं। इसके कारण आंसर–टू–सीजर रेशियो (एएसआर) में कमी आ सकती है और इंटरकनेक्शन के प्वाइंट (पीओआई) पर उपयोग के इनकमिंग और आउटगोइंग मिनट (एमओयू) का पैटर्न प्रभावित हो सकता है। सेवा अनुभव की गुणवत्ता और नेटवर्क परफॉर्मेंस पर रिंग अवधि के प्रभाव को देखते हुए यथोचित मूल्यों का पता लगाया जाना जरूरी है।

3. इस परामर्श पत्र का उद्देश्य रिंगिंग के मूल्यों का पता लगाना है, जिसे तय अवधि के बाद नो आंसर की स्थिति बने रहने के मामले में कॉल्स को अनिवार्य रूप से रिलीज करने के लिए सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा कॉन्फिगर किया जाना चाहिए। यह इस संबंध में उठाए जाने वाले उचित कदमों के बारे में और सूचना का अनुरोध करता है। यह पत्र ग्राहक द्वारा रिंगिंग अवधि के कस्टोमाइजेशन की संभावनाओं को भी तलाशता है।

4. परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से टिप्पणियां और प्रति–टिप्पणियां, यदि कोई हों, क्रमशः 30 सितंबर, 2019 और 7 अक्टूबर, 2019 तक आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियां व प्रति–टिप्पणियां इलेक्ट्रॉनिक रूप में ईमेलः– advqos@trai.gov.in पर भेजें। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री असित कादयान, सलाहकार (क्यूओएस), भादूविप्रा से टेलीफोन नंबर +91–11–23230404, फैक्स नंबर +91–11–23213036 द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस. के. गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।